GOODYEAR

गुडईयर इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद), हरियाणा – 121 004
कॉरपोरेट कार्यालय: प्रथम तल, ए. बी. डब्ल्यू एलिगेन्स टावर, प्लॉट नं.–8, कमर्शियल सेन्टर जसोला – 110 025, नई दिल्ली, भारत
सी. आइ. एन.: L25111HR1961PLC008578
ई–मेल: goodyearindia_investorcell@goodyear.com
वेबसाईट: www.goodyear.co.in

गुडईयर इंडिया लिमिटेड के सभी शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु सार्वजनिक सूचना

7 सितंबर, 2016 से लागू आईईपीएफ नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अनुसार लागू प्रावधानों के अनुपालनार्थ नीचे दिए गए शेयर, जिनके संबंध में लगातार पिछले 7 सालों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, नियम लागू होने की तारीख से 3 महीने की अवधि समाप्ति होने पर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि ऐसे सभी शेयर, जिनके लिए 31 दिसंबर, 2008 की समाप्ति से लगातार पिछले 7 सालों तक लाभांश हेतु दावा नहीं किया गया है, तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर अर्थात 6 दिसंबर, 2016 के बाद आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरण कर दिए जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे बेदावा लाभांश के विवरण तथा हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों के ब्यौरे के सत्यापन हेतु वेबलिंक https://www.goodyear.co.in/about-us/investor-relations देखें। कंपनी ने उन सभी शेयरधारकों को अलग से सूचना भी भेज दी है जिनके शेयर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए जाने हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी एतद्द्वारा अपने सदस्यों से अनुरोध करती है कि जिन्होंने अभी तक लगातार पिछले सात सालों से अपने लाभांश वारंट दावा नहीं किए हैं, वे कृपया अपना आवश्यक ब्यौरा (अर्थात फोलियो नं, डीपी – आईडी (यदि हो), वर्तमान पता तथा संपर्क नंबर) जल्दी से जल्दी अर्थात 6 दिसंबर, 2016 से पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (अर्थात मैसर्ज स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड) को नीचे दिए गए पते पर भेज दें:

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट :
मैसर्ज स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन : U74899DL1995PTC071324) (यूनिट : गुडईयर इंडिया लिमिटेड)
डी–153/ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेज–1, नई दिल्ली – 110 020, भारत
ई–मेल : info@skyindia.com
फोन नं: +9111-26812682, 83, +9111-64732681

वे सदस्य जिनके शेयर फिजिकल फार्म में हैं और आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए जाने हैं, कृपया नोट कर लें कि आईईपीएफ नियमों के अनुपालनार्थ, कंपनी, 6 दिसंबर, 2016 के बाद, मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। इस प्रकार के प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर सदस्यों के नाम से पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र अपने आप रद्द हो जाएंगे और गैर–परक्राम्य माने जाएंगे। जिन मामलों में शेयर डीमैट मोड में होंगे, डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।

सदस्यों को सचेत किया जाता है कि आईईपीएफ सस्पेंस खाते में शेयरों के हस्तांतरण के बाद वे कंपनी से किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकेंगे हालांकि सदस्यों को आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाते से इन शेयरों के दावे का अधिकार होगा।

सदस्य किसी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा अन्य अपेक्षित जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृते **गुडईयर इंडिया लिमिटेड**
Sd/-
पंकज गुप्ता
(कंपनी सचिव)

स्थान : **नई दिल्ली**
तारीख : 18 नवंबर, 2016